

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

नयी दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 2021

### शुद्धि पत्र

सा.का.नि (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2021- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2021 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 238 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, में, यथा: -

(i) पेज नंबर 2 पर,

#### के लिए

“उक्त विनियमों में, विनियम 15 में,-

(क) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर “30 सितंबर, 2020” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “15 अप्रैल, 2021 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।”.

#### पढ़ा जाए

“उक्त विनियमों में, विनियम 15 में,-

(क) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर “31 मार्च, 2021” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “15 अप्रैल, 2021 तक” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।”.

[फा. स. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)  
उप सचिव (सीमाशुल्क)